



केन्द्रीय मुहर विभाग – 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 2553 (Part 1)

29 08 2024

विषय: IS 2553 (Part 1) : 2018 (सुरक्षा उपयोगी काँच— विशिष्ट भाग 1 वास्तुकला भवन और सामान्य उपयोग) में संशोधन संख्या 2 का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 2553 (Part 1) :2018 में संशोधन संख्या 2 प्रकाशित हो चुकी है। IS 2553 (Part 1) : 2018 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की अंतिम तिथि **28 जनवरी 2025** है। सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 2553 (Part 1) : 2018 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **28 जनवरी 2025** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(अमित चौधरी)
वैज्ञानिक-डी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2)

सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 2553 (Part 1)

29 08 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 2 to Indian Standard 2553 (Part 1): 2018 (Safety Glass— Specification Part 1 Architectural, Building and General Uses)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 2 to IS 2553 (Part 1): 2018 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 2 to IS 2553 (Part 1): 2018 is **28 January 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **28 January 2025**

(Amit Chaudhary)
Scientist D (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices